दिनांक, काजा से...... 8/6/2023

प्रेषक:-व०म०अ० स्पिति

प्रेषित:- अरण्यपाल वन्य प्राणी (S) शिमला ।

Subject:-

Diversion of 15.94 hac. Land in favour of HPPWD for the construction of Mud road, within the jurisdiction of Kaza Forest Division, Distt. Lahul and Spit HP.

महोदय,

कृप्या आपके कार्यालय पंत्र संख्या 3713 दिनांक 28.11.2020 के सन्दर्भ में

विषय उपरोक्त का तहत भारत सरकार, पर्यावरण , वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्राालय के पत्र संख्या 8B/HP/06/54/2020/FC/44 दिनांक 29.10.2020 के तहत शर्तों की अनुपालना रिपोर्ट बिन्दुवार निम्न प्रकार से है:--

Sr.No.	Stipulations/conditions	Reply
1	वन भूमि की विधिक अपरिवर्तित रहेगी	मान्य है
2	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौपें जाने के बाद की वन भूमि सौपी जाएगी।	मान्य है।
3	प्रतिपूरक वनीकरण:—क— वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर प्रस्तावित वन भूमि वन भूमि के दुगुने वन भूमि पर अर्थात 31.88 है0 शेगो 10 है0 और 21.88है0 UPF Kuwan विनाच्छादित वन भूमि ग्राम कवांग WL Range Kaza में प्रतिपूरक वनीकरण किया जाएगा। जहां तक व्यावहारिक हों, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल कृषि से बचें	प्रयोक्ता अभिकरण वन भूमि के दुगुने वन भूमि पर अर्थात 31.88 हैं0 यू0पी0एफ0 शेगो व कवांग में प्रतिपूरक वनीकरण हेतु आवश्यक बिल जारी कर दिया गया हैं छायाप्रति सलंग्न है।
ख	राज्य शासन द्वारा सी०ए० क्षेत्र के सही खसरा संख्या की जानकारी प्रस्तुत की जाएगी क्योंकि वर्तमान में खसरा संख्या के स्थान पर सर्वे संख्या अंकित की गई है।	
ग	वन मण्डल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जाएगा की उक्त सी.ए.क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है।	सलंग्न है।
घ	राज्य सरकार निर्देशित के अनुसार के उल्लेघन फलस्वरूप की निर्धारित राशि कैम्पा कोष में द्धारा प्रयोकता अभिकरण के माध्यम से जमा करेगी जिसमें 12% annual interest date/year of violation से deposit किए जाने तक की तिथि तक का Calculate किया जायेगा।	
4	प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर, यदि आवश्यक हो तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एव सर्वेक्षण, सीमाकन और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रुप से ववन विभाग के पास जमा की जाएगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षो तक अनुरक्षित किया जाएगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यों के लिए	सलंग्न है।

	प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किए जा	
5 (ক)	सकते है। इस सम्बन्ध में भारत के माननीय स्वींच्च न्यायलय के WP©	सलंग्न है।
	संख्या 202 / 1995 में 1ए0 नंबर 556 दिनांक 30.10.2002, 01.08. 2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा	Weint 61
	मंत्राालय द्वारा पंत्रााक 5–1/1998–एफ.सी. Pt. 2) दिनांक 18. 09.2003, 5–2/2006–एफ.सी. दिनांक 03.10.2006 एवं 5–3/2007–एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 मे जारी	
	दिशानिदेशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 15.94 हे0 वन क्षे0 के प्रत्यावर्तन क लिए शुद्व वर्तमान मुल्य वसूल करेगी।	
(অ)	User Agency will deposit the NPV 10 times of the Normal NPV as the proposed area falls in National	सलंग्न है।
(ग)	Park. विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होन पर माननीय सर्वोच्च	
,	न्यायलय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्व वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अतिम रुप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसला जाएगा।	सलंग्न है।
-	प्रयाग्ता अभिकरण इसका एक शपथपत्र प्रस्तत करेगा।	
6	राज्य सरकार आर0 ई0 सी0 के मिन्टस दिनॉक 24.07.2020 में उल्लेखित शर्त संख्या 01 के चाहे अनुसार द्धारा के की प्रति इस कार्यालय में प्रेषित करना सुनिश्चत करें।	
7	माननीय उच्चम न्यायालय, नई दिल्ली द्धारा मे वर्तमान में एफ. सी. ए. के तहत भूमि के पत्यावर्तन पर रोक लगाई गई है । अतः राज्य सरकार मा. उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्धारा इस निर्णय लिये जाने के उपरान्त ही तदनुसार अपने स्तर पर वन भूमि के प्रत्यावर्तन हेतु जारी किए जाने वाले स्वीकृति आदेश जारी करेगी	मान्य है।
8	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में प्रस्ताव के अनुसार किसी भी प्रकार के वृक्ष नहीं काटे जायेंगे ।	सलंग्न है।
9	एफआरए, 2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा ।	
10	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई—पोर्टल (https://parivesh-nic-in/) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन फंड में स्थानातरित / जमा किए जाएँगे ।	मान्य है ।
11	प्रयोग्ता अभिकरण आईआरसी मानदंडो के अनुसार सडक के दोनो किनारों पर पौधौं की संख्या बढाएगा ।	सलंग्न है।
12	संरक्षित क्षेत्रों / वन क्षेत्रों में निश्चित दुरी पन सडक के साथ गति विनियमन साइनेज लगाए जाएंगे ।	
13	पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के प्रावधानों के अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करेगा।	
14	कंद्र सरकार की पूर्वानुमित के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।	सलंग्न हैं
15	वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।	सलंग्न हैं
16	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों का राजयीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्त्रोत से पर्याप्त लकडी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जाएगा।	मनंत्र 🔻
17	संबन्धित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर सीमाकन किया	सलंग्न हैं

	जाएगा ।	
18	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन	सलंग्न हैं
	के लिए वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नही	
	वनाया जाएगा ।	
19	वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव मे विनिर्दिष्ट प्रयोजनों	सलंग्न हैं
	के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतू नही किया जाएगा।	
20	केंद्र सरकार की पूर्वानुमित की बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन	सलंग्न हैं
	भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य अन्य ऐजेसियों, विभाग	
	अथवा व्यक्ति को हस्तातरतिं नही किया जाएगी।	
21	प्रयोक्ता अभिकरण पुर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का	मान्य है।
	निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न	
	गिरे । राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की	
	लागज पर, प्रयोक्ता अभिकरण द्धारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे	
	लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का	
	कार्य किया जाएगा । मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दिवारें	
	वनाई जाएंगी । निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को	
	सौंपने से पूर्व, इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार	
	समयवद्ध तरीके से पुरा किया जाएगा । मलवा निस्तातण क्षेत्र में	
	वृक्षों की कटाई की अनुमति नही होगी ।	
22	यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायलय	सलंग्न हैं
	आदेश / अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागु होते है तो उनके	
	अधीन जरुरी अनुमति लेना राज्य सकरार / प्रयोक्त एंजेसी की	
	जिम्मेवारी होगी	
23	अनुपालना रिपोर्ट ई-पोर्टल पर उपलोड की जाएगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा
		अनुपालना रिपोर्ट ई-पोर्टल पर
		उपलोड कर दी गई है।

संलग्नः-उपरोक्त

वन मण्डल अधिकारी

स्पिती वन्य प्राणी मण्डल स्थित काजा

UNDERTAKING

It is certified that no any kind of Plantation work has been carried out in any scheme on the proposed CA area in lieu of diversion of 15.94 hac. forest land in favour of HPPWD for Construction of Mud Road within the jurisdiction of Spiti Wild Life Division Distt. L & Spiti HP.

Date:-

Divisional Forest Officer Spiti Wild Life Division, Kaza Full title of the project: C/o Mud road. File No.: FP/HP/ROAD/36476/2018.

BILL FOR NPV

CALCULATION OF NET PRESENT VALUE OF FOREST LAND TO BE DIVERTED UNDER FCA FOR CONSTRUCTION OF MUD ROAD IN TABO RANGE.

1.	Area proposed for diversion.	15.94 hectare
2.		Dhar Tarpak, Chhchhopan, Dhar Larang & Dhar
		Chhorak
3.	No. of trees coming in the forest land including sapling	No tree involved.
4.	ECO-Value Class	Class-VI, Open Forest
5.	NPV rate applicable to open forest of class VI	Rs.6,99,000/- per hac.
6.	Total Net Present Value	6,99,000 x 15.94= Rs.1,11,42,060X10
	Total NPV payable:-	Rs.11,14,20,600/-

Note:-

If any recovery is pointed out by the audit or higher authority will be effected in lump-sum from the

user agency.

Divisional Folest Officer,
Spiti Wishin Profess Officer
Office Seal "Ild Life Division
Kaza L&S (H.P.)

REVISED BILL FOR PENAL NPV

BILL	BILL OF PENAL NPV OF VIOLATED AREA 9.75 HA. FOR CONSTRUCTION OF MUD		
ROAD UNDER SPITI WILDLIFE DIVISION DISTRICT MANDI HIMACHAL PRADESH		CT MANDI HIMACHAL PRADESH	
	Year of violation	2007	
1.	Area used in violation. 9.75 X 699000 X 5	34076250	
2.	Total area violated	9.75 ha.	
3.	Norm of NPV per ha.	6,99,000/-	
5.	Penalty for violation equal to NPV of forest land per ha. of 5 times Interest on Penal NPV @ 12% per annum w.e.f. 1/07/2003 to 28/03/2022=17 Year 8 month 28 days	699000x9.75x5=3,40,76,250/- 34076250x12x6841 365x100 =2997387515000 36500 =76640753/-	
	Total Penalty	34076250 + 76640753=110717003	
	Penal NPV payable as per guideline para B (ii) dated 29.01.2018 Govt. of India @ 20 %	4,94,04,401/-	
	Total amount payable towards Penal NPV	4,94,04,401/-	

Note:-If any recovery is pointed out by the audit or higher authority will be effected in lump-sum from the user agency.

Divisional Forest Officer, Spiti Wildlife Division, Kaza It is submitted that in this project animal passage plan is not required as the animals found in this National Park live above tree line and the road is going to be constructed along the lowest portion of National Park and animals passage will not be disturbed during and after it construction.

Divisional Forest Officer, Spiti Wild Life Division, Kaza. 1

Diversion of 15.94 Hectare of forest land for the CONSTRUCTION OF MUD ROAD (Attargoo Sangam Mudh Bhawa road)

CERTIFICATE FOR MINIMUM USE OF FOREST LAND

This is to certify that the forest area involved in the proposal is unavoidable and barest minimum i.e.15.94 Hectare which is proposed for diversion.

Divisional Forest Officer Spiti Wildlife Division at Kaza

Date:- 20 | 5 | 2023

Place:- Kaza

UNDERTAKING FOR PAYMENT OF ADDITIONAL COST OF COMPENSATORY AFFORESTATION

I / We Executive Engineer, Spiti B & R Division , HPPWD Kaza hereby undertake to pay the entire amount for compensatory afforestation in lieu of the forest area diverted for <u>CONSTRUCTION OF</u> <u>MUD ROAD (Attargoo Sangam Mudh Bhawa road)</u> as per the prevailing wage rates at the time of undertaking the plantation activities.

Date:- 20 | 5 | 2023

Place:- Kaza

Divisional Forest Officer Spiti Wildlife Division

at Kaza

शर्त संख्या 5 (ग)

UNDERTAKING FOR PAYMENT OF ADDITIONAL NET PRESENT VALUE
OF FOREST AREA

It is to certify that I / We Executive Engineer, Spiti B & R Division , HPPWD Kaza have applied for diversion of 15.94 Hectare of forest area for the purpose of <u>CONSTRUCTION OF MUD ROAD (Attargoo Sangam Mudh Bhawa road)</u>. I / We hereby undertake, to pay the net present value (NPV) of the above forest land. I also undertake to pay the differential NPV if decided by Hon'ble Supreme Court of India at later stage.

Spitl B&R Division HP.PWD., Kaza

Date: -20/5/2023

Place:- Kaza

Divisional Forest Officer Spiti Wildlife Division at Kaza

शर्त संख्या 11

UNDERTAKING FOR STRIP PLANTATION ON BOTH SIDES OF THE ROAD

It is to certify that I / We Executive Engineer, Spiti B & R Division , HPPWD Kaza have applied for Diversion of 15.94 Hectare of forest land in favour of HPPWD for CONSTRUCTION OF MUD ROAD (Attargoo Sangam Mudh Bhawa road). I, do hereby undertake, that on possible spots of both sides of the road, strip plantation will be done by the Department on own expenditure under the supervision of Forest Department.

HP.PWD., Kaza

20 5 2023

Divisional Forest Officer Spiti Wildlife Division at Kaza

शपथ पत्र

शर्त संख्या 1

क्र. सं.	सैधान्तिक स्वीकृति की शर्तें	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उतर
1	वन भूमि कि विधिक स्थिति अपरिवर्तित	हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग को ये
	रहेगी	शर्त मंजूर है ।

20 5 2023

Divisional Forest Officer Spiti Wildlife Division at Kaza

शपथ पत्र

शर्त संख्या 2

क्र.सं.	सैधान्तिक स्वीकृति की शर्ते	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उतर
1	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी।	इस परियोजना में कोई गैर वन भूमि में उपयोग नहीं लाई जा रही है।

20 5 2023

Divisional Forest Officer Spiti Wildlife Division at Kaza

शपथ पत्र

शर्त संख्या 12

क्र. सं.	सैधान्तिक स्वीकृति की शर्तें	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उतर
1	सरंक्षित क्षेत्रों / वन क्षेत्रों में निश्चित	हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग को
	दूरी पर सड़क के साथ गतिविनियमन साइनेज लगाए जाएंगे I	ये शर्त मंजूर है।

20/5/2023

Executive Engineer, Spitl B&R Division HP.PWD., Kaza

Divisional Forest Officer Spiti Wildlife Division at Kaza

शपथ पत्र

शर्त संख्या 14

क्र. सं.	सैधान्तिक स्वीकृति की शर्तें	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उतर
1	केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना	हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग को ये
	प्रस्ताव का ले-आउट प्लान नहीं बदला	शते मंजूर है।
1	जायेगा।	

20 5 2023

Executive Engineer, Spiti B&R Division HP.PWD., Kaza

Divisional Forest Officer Spiti Wildlife Division at Kaza

पत्र

शर्त संख्या 15

क्र. सं	11/1	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उतर
1	वन भूमि के आसपास की भूमि पर कोई	हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग को ये
	भी श्रीमेक शिविर स्थापित नहीं किया	शर्त मंजूर है ।
	जायेगा।	

20 | 5 | 2023

stonal Forest Officer Spiti Wildlife Division at Kaza

शपथ पत्र

<u>शर्त</u> संख्या 16

क्र. सं.	सैधान्तिक स्वीकृति की शर्तें	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उतर
1		हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग को ये
	राज्य वन विभाग अथवा वन विकास	शर्त मंजूर है ।
	निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी	
	अन्य क़ानूनी स्त्रोत से पर्याप्त लकडी	
	विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जायेगा।	

20 5 2023

Divisional Forest Officer Spiti Wildlife Division at Kaza

शपथ पत्र

शर्त संख्या 17

क्र. सं.	सैधान्तिक स्वीकृति की शर्तें	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उतर
1		हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग को ये शर्त मंजूर है ।

20 5 2023

Spiti Wildlife Division

at Kaza

शपथ पत्र

शर्त संख्या 18

त्र. स. सिधान्तक स्वाकृति का शत प्रियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतरिक्ति या नया मार्ग नहीं बनाया जायेगा ।	1	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतरिक्ति या	शत मजूर ह ।
---	---	--	-------------

20 | 5 | 2023

Divisional Forest Officer Spiti Wildlife Division at Kaza

शपथ पत्र

शर्त संख्या 19

वन भूमि का उपयोग परियोजना के हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग को ये प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त शर्त मंजूर है ।	क्र. सं.	सैधान्तिक स्वीकृति की शर्तें	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उतर
अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जायेगा।	1	वन भूमि क। उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया	हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग को ये

20 5 2023

Divisional Forest Officer Spiti Wildlife Division

at Kaza

शपथ पत्र

शर्त संख्या 20

क्र. सं. 1	सैधान्तिक स्वीकृति की शर्तें केंद्र सरकार की पूर्वानुमित के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्ताविक वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभागअथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं की जाएगी।	

20/5/2023

Divisional Forest Officer Spiti Wildlife Division

at Kaza

शपथ पत्र

शर्त संख्या 21

क्र. सं.	सैधान्तिक स्वीकृति की शर्तें	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उतर
1	प्रयोक्ता अभिकरण पूर्व विद्रिस्त स्थलों पर	हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग को ये
	इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा की	शर्त मंजूर है ।
	वह आवश्यक रूप से निस्तारण स्थल से	
	नीचे न गिरे । राज्य के वन विभाग के	
	पर्यवेक्षक में तथा परियोजना की लागत	
	पर, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त	
	प्रजातियों के नीचे पौधे लगा कर मालवा	
	निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एव पुनजीर्वित	
	करने का कार्य किया जायेगा । मलवे को	
	यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जाएगी	
	। निस्तारण स्थल को राज्य के वन विभाग	
	को सौंपने से पूर्व, इनका स्थिरीकरण एवं	
	सुधर कार्य योजना अनुसार समय बद्ध	
	तरीके से पूरा किया जायेगा । मलवे	
	निस्तारण स्थलों पर किसी भी वृक्ष का	
	पातन नहीं किया जायेगा ।	

20/5/2023

Divisional Forest Officer Spiti Wildlife Division at Kaza

शपथ पत्र

शर्त संख्या 22

1 यदि व अनुच्छे /अनुदे है तो उ राज्य	क स्वीकृति की शर्तें होईअन्य सम्बंधित अधिनियम / द / नियम / न्यायालयआदेश शआदि इस प्रस्ताव पर लागू होते उनके अधीन जरुरी अनुमति लेना सरकार/ प्रयोक्ता एजेंसी की गरी होगी।	
--	--	--

20 (5/2023

Divisional Forest Officer Spiti Wildlife Division at Kaza

शपथ पत्र

शर्त संख्या 23

क्र. सं.	सैधान्तिक स्वीकृति की शर्तें	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उतर
1	अनुपालना रिपोर्ट ई-पोर्टल	हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग को ये
	(https://parivesh.nic.in) पर अपलोड की जाएगी।	शर्त मंजूर है ।

20 | 5 | 2023

Divisional Forest Officer Spiti Wildlife Division at Kaza